न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 77 / 2016 / बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक प012 / (56)(1)राज / 2016 / 3350 दिनांक 08.06.2016 ।

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
भंवराराम पुत्र नानगाराम उम्र 70 वर्ष जाति माली निवासी बाड़मेर मगरा तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये – तहसीलदार, बाड़मेर। जिला कलेक्टर बाड़मेर। सचिव नगर विकास न्यास बाड़मेर।

उपस्थिति

1. वकील श्री भगवानदास गोयल अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हाजी खां रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. वकील श्री वीरमाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 05.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 365 रकबा 10.07 बीघा मौजा बाड़मेर मगरा पर वक्त भू–बन्दोबस्त से कब्जा काश्त निर्विवाद निर्बाध रूप से चला आ रहा है। जिस पर लगाई गई शास्ती नियमानुसार रेस्पोडेंट संख्या 1 को निरंतर अदा करता आ रहा है। चूंकि अपीलांट एक सद्भावी काश्तकार है उसकी की गई समस्त मेहनत पर पानी फिर जावेगा तथा खेत को उपजाऊ बनाने के लिए माठ बांधी और धोरे बांधे ताकि खेत का पानी खेत में रह सकें इस तरह से किया गया आवंटन पूर्वाग्रह से ग्रसित होने से काबिले खारिज है। अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना–पत्र प्रशासन गांव के संग अभियान में वास्ते खातेदारी घोषणा के पेश किया तो यह बताया गया कि खातेदारी का अंकन कर दिया जाएगा जबकि इसके ठीक विपरीत ही हुआ कि अपीलांट की बेशकिमती भमि सरकार उतरदाता संख्या 2 ने उतरदाता संख्या 3 के नाम करके अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी एवं वाक्याती भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दोहरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराया कि अपीलांट द्वारा वास्ते कृषि कार्य के लिए उक्त विवादित आराजी को पांती पर प्राप्त किया गया खेत के हिसाब से उसका हिस्सा खेत के जागीरदार को अदा करता आ रहा था अपीलांट को दौहरे दण्ड से दंडित कर उसके साथ घोर अन्याय किया गया, एक तरफ उतरदाता संख्या 1 द्वारा शास्ती दूसरी तरफ खातेदारी खेत की हासल जागीरदार उम्मेदसिंह को देना। अपीलांट के साथ यदि न्याय नही किया जाता है तो अपीलांट को हमेशा–हमेशा के लिए पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक एवं रेस्पोडेंट संख्या 03 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि कि विवादग्रस्त भूमि की किस्म **गैर मुमकिन मगरी** वक्त बंदोबस्त से राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर राजकीय भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत उक्त किस्म **गैर मुमकिन मगरी** भूमि की खातेदारी दिया जाना प्रतिबंधित है इसलिये इस पर खातेदारी अधिकार उदभूत नहीं हो सकते है। अपीलांट यदा–कदा अतिक्रमी की हैसियत से विवादित आराजी पर काबिज रहा है जिसके विरूद्ध नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बेदखली के आदेश पारित किये गये। गैर मुमकिन सरकारी भूमि पर अतिक्रमी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इस सिद्धान्त को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान की पूर्ण पीठ द्वारा Appeal/Decree/TA/5176/2002/Kota वगैरह में दिनांक 30.08.2018 को भी निर्णित किया गया है जिसमें यह उल्लेखित है कि After giving an exhaustive consideration to the matter in hand, we are also constrained to note that in the Rajasthan Tenancy Act, 1955, there is no provision in whom the khatedari rights would vest in case the land has been acquired by a person through adverse possession. अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विधिसम्मत आदेश को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2016 के संबंध में पूर्व में कोई जानकारी एवं ईल्म नही था। जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा निर्णय की नकल दिनांक 14.10.2016 को प्राप्त की गई। जिस पर यह अपील नकल मिलने की तारीख तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित समझते है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर मामले में निर्णय गुणावगुण पर किया जाना समीचीन है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयमपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि विवादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरी वक्त बंदोबस्त से आज तक राजस्व रैकर्ड में दर्ज होकर राजकीय प्रतिबंधित भूमि है। अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व पत्रावली पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने से स्पष्ट हुआ है कि राज्य सरकार के आदेशों के तहत ही नियमानुसार कार्यवाही के निर्देशों की पालना में उतरदाता संख्या 3 को विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। इस आवंटन आदेश पूर्व भी विवादग्रस्त आराजी में से 02 बीघा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कन्या छात्रावास भवन निर्माण के लिये सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर को आवंटित की जा चुकी थी। राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या प.10(7)नविआ/3/84 दिनांक 21 अप्रेल 2008 से विवादग्रस्त आराजी वाले राजस्व ग्राम बाड़मेर मगरा को नगरीय क्षैत्र में शामिल कर नगर विकास न्यास बाड़मेर के क्षैत्राधीन कर दिये जाने से शेष भूमि 08.07 बीघा राज्य सरकार के आदेश से उतरदाता संख्या 03 को आवंटन पश्चात हंस्तांतरित कर दी गई। अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित गैर मुमकिन मगरी भूमि होने के कारण इस पर खातेदारी दिया जाना प्रतिबंधित है। अपीलांटगण सिर्फ अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। सरकारी भूमि के अतिक्रमी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी नहीं दी जा सकती है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा पारित आदेश प012/(56)(1)राज/2016/3350 दिनांक 08.06.2016 यथावत रखा जाता है।

5/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner